भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3257

(दिनांक 23.03.2022 को उत्तर के लिए)

सीएसएस संवर्ग की संख्या

3257. श्री पिनाकी मिश्रा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सीएसएस संवर्गों की कुल संख्या और रिक्त पदों की संख्या का पद-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि पिछले छह वर्षों के दौरान कोई नियमित पदोन्नति नहीं हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि कर्मियों को शामिल करने के लिए पिछली परीक्षा 2017 में आयोजित की गई थी और यदि हां, तो उसके बाद परीक्षा आयोजित नहीं करने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा पदोन्नति और रिक्ति के मुद्दों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (घ): केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण, सेवा की समाप्ति/बर्खास्तगी, मृत्यु आदि के कारण रिक्तियों का होना और इन्हें भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। केन्द्रीय सचिवालय सेवा को शासित करने वाले दिशानिर्देशों और संबंधित भर्ती नियमों और विभिन्न न्यायालयों के निर्देशों, यदि कोई हो, के अनुसार फीडर ग्रेड से अधिकारियों की पदोन्नति और/अथवा खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती के जरिए समय-समय पर इन रिक्तियों को भरा जाता है। सरकार का यह प्रयास होता है कि इन रिक्तियों को जहां तक संभव हो यथाशीघ्र भरा जाए।

*****